संख्या– \ /XV-2/01(26)/2006

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में मत्स्य विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2215/म0वि0कासु0/2013–14, दिनांक 07 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भोपालपानी देहरादून में मत्स्य निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व में ₹ 119.00 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी। सम्पूर्ण धनराशि समय पर अवमुक्त न होने के कारण ₹ 169.17 लाख के आगणन पुनरीक्षित प्रस्तुत किये गये, जिसके सापेक्ष टी०ए०सी० (वित्त विभाग) द्वारा ₹ 157.18 लाख की धनराशि संस्तुत की गई, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 154.97 लाख की अवमुक्त की जा चुकी है। पुनः कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन ₹ 238.40 लाख प्रस्तुत किये गये, जिसके सापेक्ष टी०ए०सी०, वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 235.55 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में मत्स्य विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ठ किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-2019 (2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि केवल अनुमोदित कार्यक्षेत्र (Approved scope of work) में ही व्यय की जाय। यदि इसके अतिरिक्त कार्य बचत धनराशि से किये जाते है तो बचत का ब्यौरा देते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित कार्य (Additional works outside of approved scope of works) प्रारम्भ करने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से सर्वप्रथम पुराने कार्यों को पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त नये कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।
11. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाये तथा एक मद की धनराशि दूसरी मद में व्यय कदापि न की जाये।
12. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाई जाने की दशा में ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या– 192(P)/XXVII-4/2014 दिनांक 31 मार्च, 2014 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या– 186 (1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4, / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।